NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 3-06-2026

विषय सूची

कल्याण से महिला-नेतृत्व वाले विकास की ओर

जनजातीय समूहों ने वनाधिकार अधिनियम (FRA) तथा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA) कार्यबलों को भंग करने की माँग की

भारत के जमा (Deposit) परिदृश्य में परिवर्तन

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार वर्ष का पुनरीक्षण तथा उत्पादक मूल्य सूचकांको(PPI) की शुरुआत

भारत की विद्युत वाहन (EV) आपूर्ति शृंखलाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता

संक्षिप्त समाचार

जल संचय जन भागीदारी (JSJB) पहल

मिशन स्नेहजोरी

भुला दिए जाने का अधिकार

हीटवेव भारत के दुग्ध क्षेत्र की वृद्धि के लिए चुनौती

उल्कापिंड विस्फोट

रुद्रम-II

ग्रीष्मकालीन वायु प्रदूषण तथा धरातलीय ओज़ोन

कल्याण से महिला-नेतृत्व वाले विकास की ओर

सन्दर्भ

- पिछले एक दशक में भारत ने महिलाओं के प्रति कल्याण-उन्मुख दृष्टिकोण से आगे बढ़कर महिला-नेतृत्व वाले विकास के प्रतिमान की ओर महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा है।

महिला-नेतृत्व वाला विकास क्या है?

- महिला-नेतृत्व वाला विकास कल्याण और सशक्तीकरण से आगे बढ़कर **महिलाओं को आर्थिक वृद्धि, शासन, नवाचार तथा निर्णय-निर्माण के केन्द्र में स्थापित करता** है।
- यह महिलाओं को केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन की प्रेरक शक्ति के रूप में देखता है।

महिला-नेतृत्व वाले विकास के प्रमुख स्तंभ

1. स्वास्थ्य, पोषण एवं मातृ देखभाल

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जननी सुरक्षा योजना तथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जैसी योजनाओं ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया है।

प्रमुख उपलब्धियाँ:

- मातृ मृत्यु अनुपात 130 प्रति लाख जीवित जन्म (2014-15) से घटकर 88 (2021-23) हो गया।
- संस्थागत प्रसव 79% (2015-16) से बढ़कर 90.6% (2023-24) हो गया।
- मिशन इंद्रधनुष तथा पोषण 2.0 ने टीकाकरण और पोषण सहायता का विस्तार किया है।

2. शिक्षा एवं कौशल विकास

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ ने बालिका के अस्तित्व एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई है।
- समग्र शिक्षा तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों ने बालिकाओं के नामांकन एवं विद्यालय में बने रहने की दर में सुधार किया है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तथा नव्या (युवा किशोरी बालिकाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण) जैसी योजनाएँ बालिकाओं में भविष्योपयोगी कौशलों को बढ़ावा दे रही हैं।

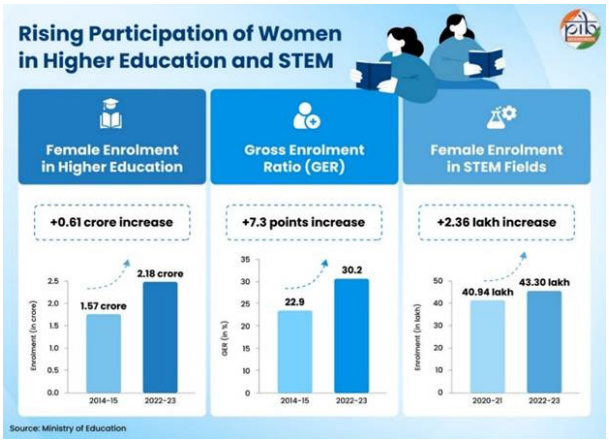

3. वित्तीय समावेशन एवं उद्यमिता

- प्रधानमंत्री जन धन योजना ने लाखों महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा है।
- सुकन्या समृद्धि योजना ने बालिकाओं के लिए दीर्घकालिक वित्तीय नियोजन को प्रोत्साहित किया है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों में महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी है।

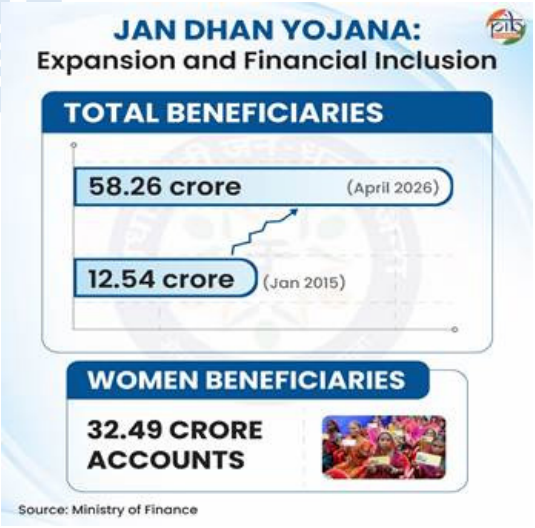

4. डिजिटल एवं आर्थिक सशक्तीकरण

- महिलाएँ डिजिटल सेवाओं, ई-वाणिज्य तथा प्रौद्योगिकी-आधारित आजीविकाओं में बढ़-चढ़कर भागीदारी कर रही हैं।
- सरकारी ई-बाज़ार मंच पर वुमनिया तथा शी-मार्ट पहल महिला उद्यमियों के लिए बाज़ार तक पहुँच का विस्तार कर रही हैं।

- नमो ड्रोन दीदी महिलाओं को कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी-आधारित सेवा प्रदाता बनने में सक्षम बना रही है।

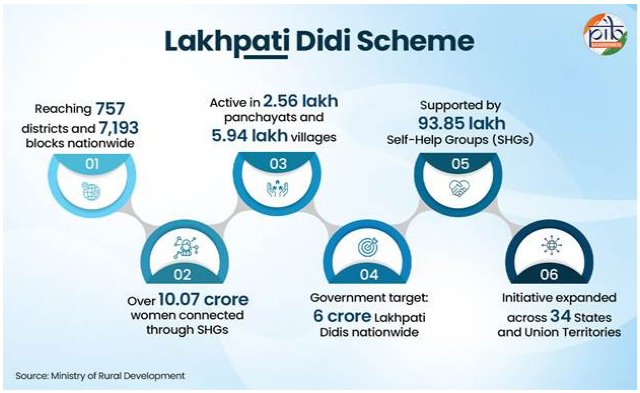

5. सुरक्षा एवं जीवन की गुणवत्ता

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने रसोई गैस की उपलब्धता के माध्यम से घरों के भीतर होने वाले वायु प्रदूषण को कम किया है।
- जल जीवन मिशन ने पानी लाने के बोझ को कम किया है तथा स्वास्थ्य परिणामों में सुधार किया है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना ने महिलाओं के स्वामित्व एवं आवासीय सुरक्षा को सुदृढ़ किया है।

6. नेतृत्व एवं राजनीतिक भागीदारी

- वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं की हिस्सेदारी कुल मतदाताओं का 48.62% रही।
- पंचायती राज संस्थाओं में 14.5 लाख से अधिक महिलाएँ निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं।
- नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करता है।

महिला-नेतृत्व वाले विकास का महत्व

- यह उत्पादक कार्यबल का विस्तार करके तथा आर्थिक भागीदारी को सुदृढ़ बनाकर समावेशी एवं सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देता है।
- श्रम बाज़ार एवं उद्यमिता में महिलाओं की अधिक भागीदारी नवाचार, रोजगार सृजन तथा आर्थिक विविधीकरण में योगदान देती है।
- शासन एवं निर्णय-निर्माण में महिलाओं का बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करता है तथा अधिक समावेशी नीतिनिर्माण को प्रोत्साहित करता है।
- यह लैंगिक समानता, निर्धनता उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य एवं समावेशी विकास सहित अनेक सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रत्यक्ष योगदान देता है।

महिला-नेतृत्व वाले विकास को साकार करने की चुनौतियाँ

1. महिला श्रमबल भागीदारी का निम्न स्तर

- सुधारों के बावजूद संरचनात्मक एवं सामाजिक बाधाओं के कारण महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी अपनी संभावित क्षमता से कम बनी हुई है।

2. लैंगिक वेतन अंतर की निरंतरता

- महिलाओं को अभी भी वेतन असमानता तथा उच्च वेतन वाले रोजगार अवसरों तक असमान पहुँच का सामना करना पड़ता है।

3. डिजिटल लैंगिक विभाजन

- डिजिटल प्रौद्योगिकी, अंतरजाल संपर्क एवं डिजिटल कौशलों तक असमान पहुँच विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को प्रभावित करती है।

4. अवैतनिक देखभाल कार्य का बोझ

- घरेलू कार्यों एवं देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों का असमान बोझ महिलाओं पर अधिक पड़ता है, जिससे उनकी सवेतन रोजगार में भागीदारी कम होती है।

5. सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाएँ

- गहराई से जड़ जमाए पितृसत्तात्मक मानदंड, लैंगिक रूढ़ियाँ तथा सुरक्षा संबंधी चिंताएँ महिलाओं की गतिशीलता और अवसरों को सीमित करती हैं।

6. नेतृत्व पदों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व

- हालिया प्रगति के बावजूद महिलाएँ उच्च कॉरपोरेट, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा संस्थागत नेतृत्व पदों पर अभी भी कम प्रतिनिधित्व रखती हैं।

आगे की राह

- भारत को **विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, हरित अर्थव्यवस्था तथा उभरती प्रौद्योगिकियों** में महिलाओं के लिए अधिक रोजगार अवसर सृजित करने होंगे।
- **शिशु देखभाल केन्द्रों, शिशुगृहों तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं** का विस्तार अवैतनिक देखभाल कार्य के बोझ को कम कर सकता है।

- **महिला आरक्षण तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन** शासन में महिलाओं की भागीदारी को और गहरा बना सकता है।

निष्कर्ष

- महिलाओं-केंद्रित कल्याण से महिला-नेतृत्व वाले विकास की ओर भारत का परिवर्तन एक ऐसे विकास दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के केन्द्र में रखा गया है।
- **विकसित भारत 2047** की दिशा में आगे बढ़ते हुए समावेशी एवं सतत विकास की प्राप्ति के लिए महिलाओं की भागीदारी, नेतृत्व और सशक्तीकरण को और अधिक मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक होगा।

स्रोत: PIB

वनवासी समूहों द्वारा वन अधिकार अधिनियम और पेसा कार्यबलों को भंग करने की मांग

सन्दर्भ

- छत्तीसगढ़ में वनाधिकार अधिनियम, 2006 तथा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 जैसे कानूनों के क्रियान्वयन में तेजी लाने हेतु एक कार्यबल के गठन से विवाद उत्पन्न हो गया है।

परिचय

- इस कार्यबल का गठन वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक वन **संसाधन अधिकार दावों के संभावित क्षेत्रों का मानचित्रण करने, लंबित दावों की समीक्षा करने, पेसा से संबंधित मामलों के लिए रणनीतियाँ तैयार करने तथा वनाधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन की सहायता** करने के लिए किया गया था।
- आलोचकों का तर्क है कि ये कार्यबल पेसा और वनाधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की मूल लोकतांत्रिक संरचना को कमजोर करते हैं, क्योंकि इनके गठन से निर्णय लेने की शक्ति ग्राम स्तरीय संस्थाओं से हटकर प्रशासनिक और तकनीकी तंत्रों के पास चली जाती है।
- आदिवासी तथा वनाधिकार संगठनों ने **छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वनाधिकार अधिनियम एवं पेसा से संबंधित कार्यबलों को भंग** करने की मांग की है।

वन अधिकार अधिनियम

- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (वनाधिकार अधिनियम या एफआरए) को **वनों में निवास करने वाले समुदायों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों, के उन अधिकारों को मान्यता** देने के लिए लागू किया गया था जिन वन संसाधनों का वे परंपरागत रूप से उपयोग करते रहे हैं।

प्रमुख विशेषताएँ:

अधिकारों की मान्यता

- इसमें व्यक्तिगत तथा सामुदायिक अधिकार शामिल हैं, जैसे—स्व-खेती,आवास,चराई,मत्स्य पालन तथा वन क्षेत्रों में स्थित जल निकायों तक पहुँच।
- इसमें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के **आवासीय अधिकार**, घुमंतू एवं पशुपालक समुदायों के **पारंपरिक मौसमी संसाधनों तक पहुँच, जैव-विविधता तक पहुँच, बौद्धिक संपदा पर सामुदायिक अधिकार तथा पारंपरिक ज्ञान से संबंधित अधिकार** भी शामिल हैं।

वन भूमि का आवंटन

- यह अधिनियम समुदाय की आधारभूत अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विकासात्मक उद्देश्यों के लिए वन भूमि के आवंटन का अधिकार भी प्रदान करता है।
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के साथ मिलकर यह अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के बिना आदिवासी आबादी को बेदखल किए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है।

ग्राम सभा की भूमिका

- यह अधिनियम ग्राम सभा तथा अधिकार धारकों पर वनों के संरक्षण एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निर्धारित करता है।

- अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा को अत्यंत सशक्त संस्था का दर्जा दिया गया है, जिससे आदिवासी समुदाय को उन स्थानीय नीतियों और योजनाओं के निर्धारण में निर्णायक भूमिका मिलती है जो उन्हें प्रभावित करती हैं।

पेसा अधिनियम, 1996 क्या है?

- **पेसा अधिनियम, 1996** का पूर्ण नाम पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 है।
- यह संसद द्वारा बनाया गया ऐसा कानून है जिसके माध्यम से संविधान के **भाग-9** में पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का विस्तार **पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक** कुछ संशोधनों के साथ किया गया।
- संविधान की **पाँचवीं अनुसूची** के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में मुख्यतः जनजातीय आबादी निवास करती है, उन्हें "**अनुसूचित क्षेत्र**" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह क्षेत्रीय व्यवस्था अनुसूचित जनजातियों के परंपरागत अधिकारों को मान्यता प्रदान करती है।

पेसा अधिनियम ने वन संरक्षण को कैसे बढ़ावा दिया है?

प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण

- यह अधिनियम जनजातीय समुदायों को भूमि, जल और वन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन एवं उपयोग पर नियंत्रण प्रदान करता है।

विकेन्द्रीकृत निर्णय-निर्माण

- यह अधिनियम निर्णय लेने की प्रक्रिया को ग्राम सभा और पंचायतों तक विकेन्द्रीकृत करता है, जिससे स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप शासन संभव हो पाता है।

भूमि अधिकार और भूमि के हस्तांतरण की रोकथाम

- अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के किसी भी हस्तांतरण के लिए ग्राम सभा की स्वीकृति अनिवार्य करके पेसा अधिनियम जनजातीय भूमि के बाहरी हस्तांतरण के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

आगे की राह

ग्राम सभा-केंद्रित शासन को सुदृढ़ बनाना

- यह सुनिश्चित किया जाए कि वनाधिकार अधिनियम, 2006 तथा पेसा अधिनियम, 1996 का क्रियान्वयन ग्राम सभाओं के अधिकारों पर आधारित रहे, जैसा कि इन कानूनों में परिकल्पित है।
- कार्यबलों की भूमिका निर्णय लेने वाली संस्था के बजाय सहयोगात्मक और सुविधा प्रदान करने वाली होनी चाहिए।

सहभागी निर्णय-निर्माण को संस्थागत रूप देना

- परामर्श एवं निगरानी तंत्रों में जनजातीय समुदायों, परंपरागत वन निवासियों, महिला समूहों तथा नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।

पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाना

- संसाधित दावों, मान्यता प्राप्त अधिकारों तथा क्रियान्वयन की स्थिति पर नियमित प्रतिवेदन प्रकाशित किए जाएँ।
- जनजातीय समुदायों के लिए सुलभ स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए जाएँ।

सहकारी संघवाद एवं संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाना

- राज्यों को ऐसे नियम और क्रियान्वयन रणनीतियाँ तैयार करनी चाहिए जो पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत प्राप्त संवैधानिक संरक्षण तथा जनजातीय स्वशासन की भावना के अनुरूप हों।

निष्कर्ष

- वनाधिकार अधिनियम और पेसा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक दक्षता तथा जनजातीय स्वशासन के संवैधानिक सिद्धांतों के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।
- ग्राम सभाओं को सशक्त बनाकर, सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करके तथा कार्यबलों को स्थानीय संस्थाओं के प्रति उत्तरदायी बनाकर अनुसूचित क्षेत्रों में विकास और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण—दोनों उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

स्रोत: TH

भारत के जमा परिदृश्य में परिवर्तन

सन्दर्भ

- भारतीय रिज़र्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय जमाकर्ता अपने धन को कम ब्याज वाले बचत खातों से निकालकर अधिक प्रतिफल देने वाली सावधि जमा (FD) में स्थानांतरित कर रहे हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रेखांकित प्रमुख प्रवृत्तियाँ

बचत जमा की हिस्सेदारी में गिरावट

- मार्च 2026 में कुल बैंक जमाओं में बचत जमा की हिस्सेदारी केवल 28.7% रह गई, जो मार्च 2022 के 34.6% से काफी कम है।
- मई 2026 तक मांग जमा (बचत एवं चालू खाते) 31.65 लाख करोड़ रुपये पर पहुँच गई।

सावधि जमा की बढ़ती लोकप्रियता

- चार वर्षों में सावधि जमा की हिस्सेदारी 55.2% से बढ़कर 61.6% हो गई तथा मई 2026 तक इसका मूल्य 225.23 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया।
- जमाकर्ता अधिक प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए अपने धन को लंबी अवधि के लिए जमा कर रहे हैं।

मध्यम अवधि की जमाओं को प्राथमिकता

- 1 से 3 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली जमाओं की हिस्सेदारी 2022 में 50.4% से बढ़कर 2026 में 69.8% हो गई।
- एक वर्ष से कम अवधि वाली जमाओं की हिस्सेदारी 16.7% से घटकर 8.8% रह गई।

बड़े जमाकर्ताओं का प्रभुत्व

- मार्च 2026 तक 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक की जमाएँ कुल सावधि जमाओं का 46.3% थीं।

घरेलू बचत का योगदान

- मार्च 2026 के अंत तक घरेलू बचत कुल बैंक जमाओं का 59.3% हिस्सा थी और भारतीय बैंकिंग प्रणाली की जमा आधारशिला बनी हुई है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की ओर विविधीकरण

- अनेक परिवार अधिक प्रतिफल प्राप्त करने के लिए म्यूचुअल फंड, अंश पूंजी तथा अन्य बाजार-आधारित साधनों में निवेश कर रहे हैं।
- बचत का यह बढ़ता विविधीकरण वित्तीय जागरूकता तथा पूंजी बाजारों में बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।

भारतीय सावधि जमा को क्यों प्राथमिकता दे रहे हैं?

बचत खातों पर कम ब्याज दरें

- अधिकांश प्रमुख बैंक बचत खातों पर केवल 2.5–3% ब्याज प्रदान करते हैं।
- इसके विपरीत, एक और दो वर्ष की सावधि जमा पर लगभग 6.25–6.45% प्रतिफल मिलता है।

बचत जमाओं पर नकारात्मक वास्तविक प्रतिफल

- जब बचत खातों की ब्याज दर मुद्रास्फीति से कम रहती है, तब धन का वास्तविक मूल्य घटता है।
- लगभग 3.48% खुदरा मुद्रास्फीति की स्थिति में 2.5% ब्याज देने वाला बचत खाता नकारात्मक वास्तविक प्रतिफल प्रदान करता है।

बैंकिंग क्षेत्र की प्राथमिकताएँ

- ऋण वृद्धि के लिए संसाधन जुटाने हेतु बैंकों ने आकर्षक सावधि जमा दरें प्रदान की हैं।
- इसके कारण जमाकर्ता अधिक प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए 1 से 3 वर्ष की अवधि वाली जमाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं।

सरल पहुँच

- इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल अनुप्रयोगों के प्रसार से अब कुछ ही क्लिक में सावधि जमा खोली जा सकती है।

जमा बीमा की सुरक्षा

- सावधि जमा जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के अंतर्गत संरक्षित होती है।
- यह प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक 5 लाख रुपये तक की जमा राशि का बीमा प्रदान करता है, जिससे अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है।

सुविधाजनक तरलता एवं ऋण सुविधा

- निवेशक 7 दिनों से लेकर 10 वर्षों तक की अवधि चुन सकते हैं।
- आकस्मिक धन की आवश्यकता होने पर सावधि जमा तोड़ी जा सकती है या उसके विरुद्ध ऋण/अधिविकर्ष प्राप्त किया जा सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव

- सावधि जमा में वृद्धि से बैंकों की ऋण प्रदान करने की क्षमता के लिए संसाधन आधार मजबूत होता है।
- वित्तीय बचत में घरेलू भागीदारी बढ़ने से वित्तीय क्षेत्र का गहन विकास होता है।
- ब्याज अर्जित करने वाले साधनों की ओर झुकाव अर्थव्यवस्था में बचत के अधिक कुशल आवंटन को प्रोत्साहित करता है।

उभरती चिंताएँ

- अधिक जमा ब्याज दरों के कारण बैंकों की वित्तीय लागत बढ़ सकती है, जिससे उनकी लाभप्रदता और ऋण दरों पर दबाव पड़ सकता है।
- जमा संग्रहण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की घटती हिस्सेदारी बड़े वाणिज्यिक बैंकों में जमाओं के बढ़ते संकेंद्रण को दर्शाती है।

आगे की राह

- नीति-निर्माताओं को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए घरेलू बचत को जमा, पेंशन, बीमा और पूंजी बाजार साधनों में अधिक विविधीकृत करने के प्रयास करने चाहिए।
- बैंकों को ऐसे लचीले जमा उत्पाद विकसित करने चाहिए जो अधिक प्रतिफल के साथ आपातकालीन परिस्थितियों में धन तक आसान पहुँच भी प्रदान करें।
- सावधि जमाओं की ओर बढ़ते रुझान के साथ-साथ ऐसे व्यापक वित्तीय क्षेत्र सुधार भी आवश्यक हैं जो घरेलू बचत को उत्पादक निवेशों की ओर प्रवाहित करें और आर्थिक विकास को गति दें।

निष्कर्ष

- बचत खातों से सावधि जमाओं की ओर बढ़ता झुकाव कम बचत ब्याज दरों तथा मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के बीच परिवारों की अधिक और स्थिर प्रतिफल प्राप्त करने की प्राथमिकता को दर्शाता है।
- यद्यपि बाजार-आधारित व्यवस्थित निवेश योजनाएँ लोकप्रिय हो रही हैं, फिर भी सावधि जमाओं की सुरक्षा, पूर्वानुमेयता और सुनिश्चित प्रतिफल उन्हें भारतीय बचत संस्कृति का एक महत्वपूर्ण आधार बनाए हुए हैं।

स्रोत: IE

थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष का संशोधन एवं उत्पादक मूल्य सूचकांकों की शुरुआत

सन्दर्भ

- भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने को मंजूरी प्रदान की है।

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) क्या है?

- थोक मूल्य सूचकांक उन वस्तुओं के मूल्यों में औसत परिवर्तन को मापता है जो उपभोक्ताओं तक पहुँचने से पहले थोक अथवा उत्पादक स्तर पर होती हैं।
- इसका संकलन और प्रकाशन उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया जाता है।

डब्ल्यूपीआई का व्यापक उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है—

- अनुबंधों में मूल्य वृद्धि संबंधी प्रावधानों के निर्धारण में।
- औद्योगिक एवं अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में।
- आर्थिक विश्लेषण एवं नीति-निर्माण में।

संशोधित डब्ल्यूपीआई (WPI) में प्रमुख परिवर्तन

वस्तुओं की संख्या में वृद्धि

- कुल वस्तुओं की संख्या 697 से बढ़ाकर 957 कर दी गई है।

नवीकरणीय ऊर्जा का समावेश

- विद्युत समूह में सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा को शामिल किया गया है।
- इसके अतिरिक्त नाभिकीय विद्युत को भी सूचकांक की टोकरी में जोड़ा गया है।

ऊर्जा श्रेणियों का पुनर्गठन

- कच्चा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस को "प्राथमिक वस्तुएँ" श्रेणी से हटाकर "ईंधन एवं ऊर्जा" श्रेणी में शामिल किया गया है।

भार निर्धारण की बेहतर पद्धति

- डब्ल्यूपीआई (2022-23) के लिए भार निर्धारित करने में सकल उत्पादन मूल्य (जीवीओ) का उपयोग किया गया है।
- जबकि डब्ल्यूपीआई (2011-12) शृंखला में शुद्ध व्यापारित मूल्य (सकल उत्पादन मूल्य + आयात – निर्यात) का उपयोग किया जाता था।
- सकल उत्पादन मूल्य पर आधारित भार उत्पादक के दृष्टिकोण से वस्तुओं के आर्थिक महत्व को अधिक सटीक रूप से दर्शाते हैं क्योंकि वे घरेलू उत्पादन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अनुपलब्ध मूल्य आँकड़ों के आकलन की बेहतर पद्धति

- वर्तमान शृंखला में प्रयुक्त अग्रेषण पद्धति के स्थान पर लक्षित माध्य आकलन पद्धति का उपयोग किया गया है।

भारत में उत्पादक मूल्य सूचकांकों (PPIs) की शुरुआत

- सरकार आधार वर्ष 2022-23 के साथ निम्नलिखित नई शृंखलाएँ भी जारी करेगी—
- **आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (OPPI):** ओपीपीआई उन मूल्यों में समय के साथ होने वाले औसत परिवर्तन को मापता है जो उत्पादकों को उनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्राप्त होते हैं।
- यह करों, व्यापारिक मार्जिन तथा परिवहन लागतों को जोड़ने से पहले उत्पादक अथवा कारखाना-द्वार स्तर पर मूल्य परिवर्तनों को दर्शाता है।
- **इनपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (IPPI):** आईपीपीआई उन मूल्यों में औसत परिवर्तन को मापता है जिनका भुगतान उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त आगतों, जैसे कच्चा माल, मध्यवर्ती वस्तुएँ, ऊर्जा तथा अन्य उत्पादन आगतों के लिए करते हैं।
- यह उत्पादकों द्वारा सामना किए जाने वाले लागत दबावों को प्रतिबिंबित करता है।
- **सर्विस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (Service PPI):** पीपीआई उन मूल्यों में समय के साथ होने वाले औसत परिवर्तन को मापता है जो सेवा प्रदाताओं को उनकी प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बदले प्राप्त होते हैं।
- यह उत्पादक के दृष्टिकोण से सेवा क्षेत्र में मुद्रास्फीति का आकलन करता है।

स्रोत: PIB

भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल आपूर्ति शृंखलाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता

सन्दर्भ

- भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने की गति बढ़ने के साथ बाहरी प्रभावों (shocks) के प्रति संवेदनशीलता को कम करने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

परिचय

- वित्तीय वर्ष 2026 में लगभग 25 लाख वाहनों की बिक्री हुई, जो वित्तीय वर्ष 2025 की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है।
- जैसे-जैसे यह क्षेत्र विस्तार कर रहा है, भारत आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम कर रहा है, लेकिन साथ ही आयातित लिथियम-आयन बैटरियों पर उसकी निर्भरता बढ़ती जा रही है।
- अब इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र की वृद्धि का मूल्यांकन केवल बिक्री के आधार पर नहीं, बल्कि तीन अतिरिक्त मानकों पर भी किया जाना चाहिए— आपूर्ति शृंखला की सुदृढ़ता,सामरिक स्वायत्तता तथा दीर्घकालिक स्थिरता।

इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या हैं?

- इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) एक विद्युत मोटर पर संचालित होते हैं, न कि आंतरिक दहन इंजन पर, जो ईंधन और गैसों के मिश्रण को जलाकर शक्ति उत्पन्न करता है।
- इलेक्ट्रिक व्हीकल बड़े पुनर्भरणीय बैटरी पैकों में विद्युत ऊर्जा संग्रहित करते हैं तथा उन्हें पुनर्भरण के लिए बाहरी विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है।
- इसलिए ऐसे व्हीकल को बढ़ते प्रदूषण, वैश्विक तापवृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों के क्षय आदि समस्याओं के समाधान हेतु वर्तमान पीढ़ी के वाहनों के संभावित विकल्प के रूप में देखा जाता है।

भारत में घरेलू सेल विनिर्माण

- भारत का घरेलू बैटरी सेल विनिर्माण अभी भी उस स्तर से काफी नीचे है जो आयात निर्भरता को सार्थक रूप से कम कर सके।
- उन्नत रसायन सेल बैटरी उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 40 गीगावाट-घंटा क्षमता आवंटित की गई है, किन्तु अब तक केवल लगभग 1 गीगावाट-घंटा क्षमता ही स्थापित हो पाई है।

- इस बीच, भारत में बेचे जा रहे यात्री इलेक्ट्रिक व्हीकल 14 वैश्विक निर्माताओं से बैटरियाँ प्राप्त कर रहे हैं तथा वर्ष 2025 में 7,987 मेगावाट-घंटा बैटरियों का आयात किया गया।
- इसका एक बड़ा हिस्सा चीनी निर्माताओं से आया, जो दर्शाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती बिक्री का चीन से बढ़ते आयात के साथ घनिष्ठ संबंध है।

मुख्य चिंताएँ

एक ही देश पर निर्भरता

- बैटरी आपूर्ति तेजी से एक ऐसे एकल-देशीय तंत्र पर निर्भर होती जा रही है जो भारत के नियंत्रण से बाहर की नीतियों, भू-राजनीतिक परिस्थितियों और औद्योगिक रणनीतियों से प्रभावित होता है।
- चीन में कई घटनाक्रम मूल्य निर्धारण और उपलब्धता को प्रभावित कर रहे हैं, जैसे— प्रौद्योगिकी पर कड़े प्रतिबंध,घरेलू मांग को प्राथमिकता,बैटरी निर्यात पर मूल्यवर्धित कर छूट की समाप्ति।

भू-राजनीतिक परिस्थितियाँ

- पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने कच्चे माल की लागत, चीन में विनिर्माण व्यय तथा परिवहन एवं जोखिम प्रीमियम को बढ़ाकर दबाव और अधिक बढ़ा दिया है।

भारतीय बाजार पर प्रभाव

- भारत जैसे अत्यधिक मूल्य-संवेदनशील बाजार में यह स्थिति इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को केवल उच्च-आय वर्ग तक सीमित कर सकती है और राष्ट्रीय अंगीकरण लक्ष्यों को जोखिम में डाल सकती है।
- यदि यह स्थिति बनी रहती है और मूल उपकरण निर्माता (OEMs)बढ़ी हुई लागत उपभोक्ताओं पर डालने के लिए विवश होते हैं।

सरकारी पहलें

भारत में वाहन एवं वाहन अवयव उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन(PLI) योजना(PLI-Auto):

- वर्ष 2021 में प्रारम्भ की गई इस योजना का उद्देश्य उन्नत वाहन प्रौद्योगिकियों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए कंपनियों को कम-से-कम 50 प्रतिशत घरेलू मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

भारत में विद्युत यात्री कारों के विनिर्माण को प्रोत्साहन योजना (SPMEPCI), 2024

- वैश्विक वाहन निर्माताओं को निवेश हेतु आकर्षित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवेदकों को पाँच वर्षों तक न्यूनतम 35,000 अमेरिकी डॉलर लागत, बीमा एवं मालभाड़ा मूल्य वाली पूर्ण निर्मित विद्युत चार-पहिया गाड़ियों के आयात पर केवल 15 प्रतिशत सीमा शुल्क की सुविधा दी जाती है।

उन्नत रसायन सेल उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना(ACC):

- इसे वर्ष 2021 में 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ स्वीकृत किया गया था।
- इसका उद्देश्य देश में 50 गीगावाट-घंटा उन्नत रसायन सेल बैटरियों के लिए प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।

रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम(REPM)

- इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटरों में प्रयुक्त दुर्लभ मृदा परमानेंट मैग्नेट्स के घरेलू उत्पादन को विकसित करने के लिए यह योजना प्रारम्भ की गई है।
- यह महत्वपूर्ण खनिजों और सामरिक अवयवों के आयात पर निर्भरता कम करती है।
- साथ ही विद्युत गतिशीलता के लिए प्रारम्भिक आपूर्ति शृंखलाओं को सुदृढ़ बनाती है।

आगे की राह

- भारतीय निर्माताओं को सोडियम-आयन बैटरियों सहित उभरती बैटरी रसायन प्रौद्योगिकियों पर आधारित वाहनों का प्रकार-परीक्षण प्रारम्भ करना चाहिए।
- यद्यपि सोडियम-आयन बैटरियाँ अभी सभी उपयोगों में लिथियम-आयन का पूर्ण विकल्प नहीं हैं, फिर भी घरेलू उत्पादन बढ़ने के साथ वे एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में कार्य कर सकती हैं।
- भारत को खनिज, विनिर्माण, प्रौद्योगिकी तथा मानकों को समाहित करने वाले विश्वसनीय साझेदारों के साथ एक संरचित विद्युत वाहन आपूर्ति शृंखला गठबंधन विकसित करना चाहिए।

- ऐसा गठबंधन विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में जोखिम का वितरण करेगा, घरेलू क्षमताओं को मजबूत बनाएगा तथा किसी एक बाहरी व्यवधान को भारत के विद्युतीकरण कार्यक्रम को बाधित करने से रोकेगा।

निष्कर्ष

- भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह स्वच्छ गतिशीलता के लिए मांग उत्पन्न कर सकता है। अब अगली चुनौती यह है कि क्या वह इस मांग को बनाए रखने के लिए आवश्यक औद्योगिक क्षमता विकसित कर सकता है, बिना किसी एक बाहरी बाधा पर निर्भर हुए।
- लक्ष्य केवल तेजी से विद्युतीकरण करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा विद्युतीकरण करना चाहिए जो बुद्धिमत्तापूर्ण, सुरक्षित और भारत की दीर्घकालिक सामरिक तथा आर्थिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करने वाला हो।

स्रोत: TH

संक्षिप्त समाचार

जल संचय जन भागीदारी (JSJB) पहल

सन्दर्भ

- केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने बताया कि केंद्र की जल संचय जन भागीदारी (JSJB) पहल के अंतर्गत देशभर में 1.5 करोड़ से अधिक कृत्रिम भूजल पुनर्भरण एवं जल भंडारण संरचनाओं के निर्माण की सूचना प्राप्त हुई है।

जल संचय जन भागीदारी पहल का परिचय

- यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024 में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन के अंतर्गत प्रारम्भ की गई एक राष्ट्रव्यापी सामुदायिक जल संरक्षण पहल है।
- उद्देश्य: जनसहभागिता, स्थानीय संस्थाओं, उद्योगों तथा सरकारी एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण को जन-आंदोलन में परिवर्तित करना।
- यह 3C मंत्र पर आधारित है—समुदाय,

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर),लागत।

- यह एक समावेशी मॉडल अपनाती है, जो दीर्घकालिक जल सुरक्षा तथा जल संकट के प्रति लचीलापन बढ़ाने को प्रोत्साहित करता है।
- इस पहल के अंतर्गत राज्यों को पाँच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है तथा जिलों को न्यूनतम 10,000 कृत्रिम पुनर्भरण एवं भंडारण संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों को श्रेणी-1 में 2 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाता है।
- श्रेणी-2 के जिलों को 1 करोड़ रुपये तथा श्रेणी-3 के जिलों को 25 लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

स्रोत: IE

मिशन स्नेहजोरी

सन्दर्भ

- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री ने असम के मूगा रेशम क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विलासिता वस्त्र पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित करने हेतु मिशन स्नेहजोरी का शुभारंभ किया है।

परिचय

- इस मिशन का उद्देश्य पोषक पौधों की खेती को सुदृढ़ करना, रेशम रीलिंग अवसंरचना का आधुनिकीकरण करना, कृषक उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देना तथा एकीकृत "स्नेहजोरी" ब्रांड के अंतर्गत वैश्विक बाजारों तक पहुँच का विस्तार करना है।
- इस पहल का क्रियान्वयन असम सरकार, केंद्रीय सिल्क बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय तथा अन्य केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से किया जा रहा है।

केंद्रीय सिल्क बोर्ड का परिचय

- यह वस्त्र मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना केंद्रीय सिल्क बोर्ड अधिनियम, 1948 (बाद में केंद्रीय सिल्क बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2006) के अंतर्गत की गई थी।
- यह रेशमकीट पालन तथा रेशम उद्योग के विकास हेतु नीतियाँ बनाने और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है।
- मुख्यालय: बेंगलुरु, कर्नाटक

रेशमकीट पालन(Sericulture) की मूल बातें

- रेशमकीट पालन में रेशमकीटों (मुख्यतः Bombyx mori) का पालन किया जाता है, जो शहतूत, ओक, अरंडी और अर्जुन जैसे पौधों की पत्तियों पर पोषण प्राप्त कर कोकून बनाते हैं।
- इन कोकूनों को प्रसंस्कृत करके धागा और वस्त्र तैयार किए जाते हैं, जिससे कृषि और उद्योग का समन्वय होता है।
- भारत विश्व का एकमात्र देश है जो प्राकृतिक रेशम की सभी चार प्रमुख किस्मों का उत्पादन करता है—
- शहतूत रेशम (भारत के कुल उत्पादन का लगभग 70%)
- टसर रेशम (वन्य रेशमकीटों से प्राप्त)
- एरी रेशम (जिसे "अहिंसा रेशम" भी कहा जाता है)
- मूगा रेशम (भौगोलिक संकेतक प्राप्त उत्पाद)
- असम विश्व के लगभग 90 प्रतिशत मूगा रेशम का उत्पादन करता है।
- वर्तमान में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है तथा वैश्विक रेशम उत्पादन में उसका योगदान लगभग 25 प्रतिशत है। प्रथम स्थान पर चीन है।

स्रोत: DDNews

Right to be Forgotten

सन्दर्भ

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि भुला दिए जाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त निजता के मौलिक अधिकार का एक महत्वपूर्ण भाग है।

भारत में भुला दिए जाने के अधिकार की स्थिति

- भारत में अभी तक भुला दिए जाने के अधिकार पर कोई विशिष्ट कानून नहीं है।
- तथापि, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 तथा विभिन्न न्यायिक निर्णयों में इस अधिकार को मान्यता दी गई है।
- के.एस.पुट्टास्वामी निर्णय (2017) में भारत के उच्चतम न्यायालय ने सूचना संबंधी निजता को निजता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना था।
- इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय तथा ओडिशा उच्च न्यायालय के निर्णयों ने इस अधिकार की व्याख्या को और विस्तृत किया तथा इसके विभिन्न आयामों पर चर्चा की।

स्रोत: TH

भारत के डेयरी विकास के लिए चुनौती बनती लू की घटनाएँ

सन्दर्भ

- भारत में अत्यधिक गर्मी और लू की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति ने देश के डेयरी क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

भारत का डेयरी क्षेत्र

वैश्विक नेतृत्व

- भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और वैश्विक दुग्ध उत्पादन में उसका योगदान 24.76 प्रतिशत है।

उत्पादन वृद्धि

- दुग्ध उत्पादन वर्ष 2014-15 के 146.31 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 239.30 मिलियन टन हो गया।

आर्थिक योगदान

- डेयरी भारत की सबसे बड़ी कृषि वस्तु है, जो सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 5 प्रतिशत का योगदान देती है तथा 8 करोड़ से अधिक किसानों को रोजगार प्रदान करती है।

विकास प्रदर्शन

- पशुधन क्षेत्र ने वर्ष 2014-15 से 2020-21 के बीच 7.9 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की, जो कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर से अधिक है।

प्रति व्यक्ति उपलब्धता

- वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 471 ग्राम प्रतिदिन हो गई, जो वैश्विक औसत 322 ग्राम प्रतिदिन से काफी अधिक है।

प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य

- उत्तर प्रदेश
- राजस्थान
- मध्यप्रदेश

लू की घटनाएँ डेयरी उत्पादन को कैसे प्रभावित करती हैं?

दुग्ध उत्पादन में कमी

- ऊष्मा तनाव के कारण पशुओं का चारा सेवन कम हो जाता है, जिससे दुग्ध उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता घट जाती है।
- पशु अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं, जिसके कारण दुग्ध संश्लेषण के लिए कम ऊर्जा उपलब्ध रहती है।

प्रजनन संबंधी तनाव

- बढ़ता तापमान प्रजनन क्षमता और गर्भाधान दर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।
- ऊष्मा तनाव के कारण गर्भपात तथा समयपूर्व प्रसव की घटनाएँ बढ़ जाती हैं।

दूध की गुणवत्ता में गिरावट

- अत्यधिक गर्मी दूध में वसा तथा वसा-रहित ठोस पदार्थों की मात्रा को कम कर देती है।
- चूँकि दूध खरीद मूल्य वसा और ठोस पदार्थों की मात्रा से जुड़ा होता है, इसलिए किसानों को प्रत्यक्ष आय हानि का सामना करना पड़ता है।

स्रोत: ET

उल्कापिंड विस्फोट

सन्दर्भ

- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पुष्टि की है कि एक अत्यंत चमकीला अग्निगोला उल्का आकाश में विस्फोटित हुआ, जिसने लगभग 300 टन टीएनटी के बराबर ऊर्जा मुक्त की तथा एक ध्वनि-विस्फोट उत्पन्न किया जिसे अमेरिका के विभिन्न भागों में सुना गया।

परिचय

- फायरबॉल अत्यंत चमकीले उल्का के लिए प्रयुक्त एक शब्द है, जिसकी चमक सामान्यतः –4 परिमाण से अधिक होती है। यह लगभग प्रातः या सायंकालीन आकाश में दिखाई देने वाले शुक्र ग्रह की चमक के समान होती है।
- बोलाइड फायरबॉल्स का एक विशेष प्रकार है, जो अपने अंतिम चरण में अत्यंत चमकीले विस्फोट के साथ समाप्त होता है तथा इसमें प्रायः टुकड़ों में विखंडन भी दिखाई देता है।
- प्रतिदिन पृथ्वी के वायुमंडल में फायरबॉल श्रेणी के कई हजार उल्का प्रवेश करते हैं।
- इनमें से अधिकांश महासागरों तथा निर्जन क्षेत्रों के ऊपर घटित होते हैं।

उल्का-कण, उल्का और उल्कापिंड

उल्का-कण(Meteoroid)

- यह अंतरिक्ष में गतिमान एक छोटा शैलखंड या कण होता है, जो सामान्यतः किसी धूमकेतु या क्षुद्रग्रह का भाग होता है।

उल्का(Meteor)

- जब कोई उल्का-कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर घर्षण के कारण जलने लगता है, तब आकाश में दिखाई देने वाली प्रकाश रेखा को उल्का कहा जाता है।

उल्का वर्षा(Meteor shower)

- जब समान स्रोत (जैसे किसी धूमकेतु के अवशेष) से उत्पन्न तथा लगभग समान कक्षाओं वाले अनेक उल्का-कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो उसे उल्का वर्षा कहा जाता है।

उल्कापिंड(Meteorite)

- वह अंतरिक्षीय शैलखंड जो वायुमंडल से गुजरने के बाद भी पूरी तरह नष्ट नहीं होता और पृथ्वी की सतह तक पहुँच जाता है, उल्कापिंड कहलाता है।

स्रोत: TH

रुद्रम-II

सन्दर्भ

- भारत ने स्वदेशी रुद्रम-II वायु-से-भूमि प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया है, जिससे देश की स्वदेशी रक्षा क्षमता तथा सटीक प्रहार क्षमता को मजबूती मिली है।

परिचय

- रुद्रम-II एक वायु-से-भूमि पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, जिसे हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत(Research Centre Imarat) द्वारा विकसित किया गया है, जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रमुख प्रयोगशाला है।
- इसमें एक संकर नौवहन प्रणाली का उपयोग किया गया है, जिसमें—जड़त्वीय नौवहन प्रणाली,वैश्विक अवस्थिति प्रणाली तथा एक उन्नत निष्क्रिय लक्ष्य-निर्धारण तंत्र शामिल है, जो विस्तृत आवृत्ति क्षेत्र में रेडियो आवृत्ति उत्सर्जनों का पता लगा सकता है।

इसकी प्रमुख विशेषताएँ—

- अधिकतम गति: मैक 5.5
- मारक क्षमता: लगभग 300 किलोमीटर
- वारहेड भार: 200 किलोग्राम तक
- इसे 3 से 15 किलोमीटर की ऊँचाई पर उड़ रहे लड़ाकू विमानों, जैसे सुखोई एसयू-30 एमकेआई से प्रक्षेपित किया जा सकता है।
- यह प्रक्षेपास्त्र वर्तमान में सेवा में मौजूद रूसी मूल की केएच-31 विकिरण-रोधी प्रक्षेपास्त्रों के स्थान पर एक महत्वपूर्ण शक्ति-वर्धक के रूप में कार्य करेगा।

क्या आप जानते हैं?

- रुद्रम शृंखला के पूर्ववर्ती संस्करण रुद्रम-I की मारक क्षमता 100–250 किलोमीटर है तथा यह मैक 2 तक की गति प्राप्त कर सकता है।

स्रोत: TOI

ग्रीष्मकालीन वायु प्रदूषण और भू-स्तरीय ओजोन

सन्दर्भ

- वर्ष 2026 में भारत के अनेक शहरों में गंभीर ग्रीष्मकालीन वायु प्रदूषण देखा गया, जिसके कारण दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के अंतर्गत प्रथम चरण के प्रतिबंध पुनः लागू करने पड़े।

ग्रीष्म ऋतु में भू-स्तरीय ओजोन का निर्माण

- भू-स्तरीय ओजोन एक द्वितीयक प्रदूषक है तथा यह सीधे वायुमंडल में उत्सर्जित नहीं होती।
- इसका निर्माण तब होता है जब—वाहनों से उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड,

तथा उद्योगों, रंगों, विलायकों और ईंधन उत्सर्जनों से निकलने वाले वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, तीव्र सूर्यप्रकाश की उपस्थिति में परस्पर अभिक्रिया करते हैं।

- अत्यधिक गर्म ग्रीष्मकालीन परिस्थितियाँ और लू की घटनाएँ इस रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देती हैं, जिससे दिन के समय ओजोन का स्तर बढ़ जाता है।
- ओजोन और कणीय पदार्थ बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों तथा फेफड़ों के रोगों से पीड़ित लोगों में गंभीर श्वसन रोग उत्पन्न कर सकते हैं।

ग्रीष्मकालीन वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण

क्षेत्रीय धूल भरी आँधियाँ (लू)

- गर्म और शुष्क हवाएँ थार मरुस्थल तथा पश्चिम एशिया से धूल लाती हैं, जिससे पीएम-10 का स्तर तेजी से बढ़ जाता है।

स्थानीय धूल भरी आँधियाँ (आँधी)

- स्थानीय गर्जन-तूफानों के कारण उत्पन्न धूल भरी आँधियाँ ढीली मिट्टी को उठाकर शहरी क्षेत्रों में पहुँचा देती हैं।

शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव

- कंक्रीट की सतहें तथा हरित आवरण में कमी स्थानीय तापमान बढ़ाती हैं और धुंध-कोहरे के निर्माण को तेज करती हैं।

निर्माण गतिविधियाँ

- शीतकालीन प्रतिबंध हटने के बाद निर्माण और विध्वंस कार्यों से उत्पन्न धूल वायु में फैल जाती है।

मानवीय गतिविधियाँ

- वाहन उत्सर्जन, उद्योग तथा कचरा जलाना लगातार वायु में प्रदूषकों का उत्सर्जन करते रहते हैं।

स्रोत: TH

■■■■